रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 1981/माघ 23, 1902

No. 51] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 1981/MAGHA 23, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1981

सा. का. नि. 61 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 114

अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पंचम अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 को, जहां तक यह राजस्थान राज्य में अब समाविष्ट क्षेत्रों से सम्बन्धित है, विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य [illegible] अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिनिश्चित किया जाता है:—

1. बांसवाड़ा जिला.

2. डूंगरपुर जिला.

3. उदयपुर जिले में निम्नलिखित :

(क) फलासिया, खेरवाड़ा, कोटड़ा, सराड़ा, सलूम्बर और लसाडिया की तहसीलें ;

(ख) गिर्वा तहसील के नीचे वर्णित इक्यासी ग्राम :

(1) सिसरमा पंचायत के सिसरमा, देवाली, [illegible], सेठजी की कूंडल, रेयता, कोडियत और पी[illegible]लिया ग्राम,

(2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया गरहा, पीपल[illegible] और नया खेड़ा ग्राम,

(3) नई पंचायत का नई ग्राम,

(4) डोडावली पंचायत के डोडावली, कालीवास, [illegible] नाली, सुराना, बोरावारा का खेरा, मादड़ी, [illegible] और केली ग्राम,

(5) बड़ी उंदरी पंचायत के बड़ी उंदरी, छोटी उंदरी, पीपलवास और कुमारिया खेरवा ग्राम;

(6) अलसीगढ़ पंचायत के अलसीगढ़, पई और [illegible] ग्राम,

(7) पडूना पंचायत के पडूना, अमरपुरा और [illegible] ग्राम,

(8) चनावडा पंचायत का चनावडा ग्राम,

(9) मारू पंचायत के मारू और बरन ग्राम,

(10) तीरी पंचायत के तीरी, बोरिकुआ और [illegible] ग्राम,

(11) जावर पंचायत के जावर, रावन, धावरी तलाई, नया खेड़ा, कानपुर और उदय खेड़ा ग्राम,

(12) बारापाल पंचायत के बारापाल, तोराना, तालाब और कदिया खेत ग्राम,

(13) काया पंचायत के काया और चान्दनी ग्राम,

(14) तीतारदी पंचायत के तीतारदी, फंदा, बिलिया, दकन कोटरा, ढोलिया की पाटी और सवीना खेड़ा ग्राम,.

(15) कानपुर पंचायत का कानपुर ग्राम,

(16) वली पंचायत के वली, बूदेल, लालपुरा परावाल, खेरी और जसपुरा ग्राम,

(17) चन्दसा पंचायत के चन्दसा, दमारों का गुडा, मामदेव, झामर कोटरा, साथपुरा गुजारन साथपुरा मीनान, जाली का गुरहा, खरवा, मानपुरा और जोधपुरिया ग्राम,

(18) जगत पंचायत का जगत ग्राम,

(19) दतीसर पंचायत के दतीसर, रुनीज, वसू और रोड्डा ग्राम,

(20) लकड़वास पंचायत के लकड़वास और परोला ग्राम,

(21) भाला का गुरहा पंचायत के भाला का गुरहा, कारगेट, भेसाढ़दा और बिछरी ग्राम ।

4. चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ तहसील ।

5. सिरोही जिले में आबू रोड तहसील का आबू रोड ब्लाक ।

3. पूर्ववर्ती पैरा में किसी प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी भी निर्देश का, चाहे वह किसी भी नाम से दर्शित हो इस प्रकार अर्थ किया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है ।

नीलम संजीव रेड्डी,
राष्ट्रपति

[सं. एफ. 19(2)/80-एल. 1]

रू. वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 1981

. 61(E).—The following Order made by the President ...ed for general information :—

C.O. 114

THE SCHEDULE AREAS (STATE OF RAJASTHAN) ORDER, 1981

In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby rescinds the Scheduled Areas (Part B States) Order, 1950, in so far as it relates to the areas now comprised in the State of Rajasthan, and in consultation with the Govenor of the State, is pleased to make the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Scheduled Areas (State of Rajasthan) Order, 1981.

(2) It shall come into force at once.

2. The areas specified below are hereby redefined to be the Scheduled Areas within the State of Rajasthan :—

1. Banswara district.
2. Dungarpur district.
3. The following in Udaipur district :

(a) Tahsils of Phalasia, Kherwara, Kotra, Sarada, Saiumbar and Lasadia;

(b) The eightly-one villages of Girwa tahsil as mentioned below :—

(i) Sisarma, Devali, Baleecha, Sethji Ki Kundal, Rayta, Kodiyat and Peepliya villages of Sisarma Panchayat,

(ii) Bujra, Naya Gurha, Popalti and Naya Khera villages of Bujra Panchayat,

(iii) Nai village of Nai Panchayat,

(iv) Dodawali, Kaliwas, Kar Nali, Surana, Borawara Ka Khera, Madri, Bachhar and Keli villages of Dodawali Panchayat,

(v) Bari Undri, Chhoti Undri, Peepalwas and Kumariya Kherwa villages of Bari Undri Panchayat,

(vi) Alsigarh, Pai and Aar villages of Alsigarh Panchayat,

(vii) Padoona Amarpura and Jawala villages of Padoona Panchayat,

(viii) Chanawada village of Chanawada Panchayat,

(ix) Saroo and Baran villages of Saroo Panchayat,

(x) Teeri, Borikuwa and Gojiya villages of Teeri Panchayat,

(xi) Jawar, Rawan, Dhawari Talai, Nayakhera, Kanpur and Udaiya Khera villages of Jawar Panchayat

(xii) Barapal, Torana Talab and Kadiya Khet villages of Barapal Panchayat,

(xiii) Kaya and Chandani villages of Kaya Panchayat,

(xiv) Teetardi, Phanda, Biliya, Dakankotra, Dholiya Ki Pati and Saweena Khera villages of Teetardi Panchayat,

(xv) Kanpur village of Kanpur Panchayat,

(xvi) Wali, Boodel, Lalpura, Parawal, Kheri and Jaspura villages of Wali Panchayat,

(xvii) Chansada, Damaron Ka Guda, Mamadeo, Jhamar Kotra, Sathpura Gujaran, Sathpura Meenan, Jali Ka Gurha, Kharwa, Manpura and Jodhipuriya villages of Chansada Panchayat,

(xviii) Jagat Village of Jagat panchayat

(xix) Dateesar, Runeeja, Basu and Rodda villages of Dateesar Panchayat,

(xx) Lokarwas and Parola villages of Lakarwas Panchayat,

(xxi) Bhala ka Gurha, Karget, Bhesadha and Bichhri villages of Bhala Ka Gurha Panchayat.

4. Pratapgarh tahsil in Chittaurgarh district.
5. Abu Road Block of Abu Road tahsil in Sirohi district.

3. Any reference in the preceding paragraph to a territorial division by whatever name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of that name as existing at the commencement of this Order.

N. SANJIVA REDDY,
President.

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.
[No. F. 19(2)/80-L. I]